

24/04/23

पेशा हो।

पत्रावली कैंप सर्ट, माचरोदा में प्रस्तुत हुई।  
प्रतिवादी सं. 1 सी ओर से वकील श्री जगवीर सिंह  
सेवदा द्वारा वसूलतन्नामा मय मय प्रा. पत्र  
धारा 11 / धारा 151 जा. दी. का पेशा किया गया।  
प्रतिवादी सं. 5, 6, 7 व 8 सी ओर से वकील श्री  
रवेंद्रशंकर द्वारा वसूलतन्नामा पेश किया गया। इन्हें  
शा. क्रि. किया गया। वकील वादी द्वारा बिड़ो हेतु  
प्रा. पत्र प्रस्तुत किया गया। वादी स्वयं उपस्थित।  
प्रा. पत्र. बिड़ो स्वीकार किया जानकर यह निर्णय  
रुने न्यायालय में सुनाया गया। इस हेतु  
तहसीलदार, फालेरा से तहरीर जारी हो। पत्रावली  
पौयल शुक्र हो दो नंतर से मा. होकर दखिन  
पपतर हो।

उपरखण्ड अधिकारी  
सोमपुर 24/04/23

(कैंप सर्ट / प्रशासन गांवों के लोग शिर्ष, माचरोदा)

